

भारतीय संघ

बनाम

मद्रास टेलीफोन एस.सी. और एस.टी. समाज कल्याण एसोसिएशन आदि

26 अप्रैल, 2000

{जी.बी. पटनायक, आर.पी.सेठी और शिवराज वी. पाटिल जी, जे.जे.}

टेलीग्राम इंजीनियरिंग सेवा वर्ग II भर्ती नियम, 1966: नियम 2(ई) और 5-
अनुसूची- परिशिष्ट I और II

पोस्ट और टेलीग्राफ मैनुअल : खंड IV- पैराग्राफ 206

सेवा कानून :

दूरसंचार मंडल- कनिष्ठ अभियंता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति-
पदोन्नति की प्रक्रिया- अवधारित- प्रक्रिया 1966 के नियमों के तहत निर्धारित है, न कि
पी एंड टी मैनुअल के पैरा 206 के तहत- अभिनिर्धारित किया गया है- भर्ती के प्रत्येक
वर्ष के लिये अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जानी चाहिए।

अवमानना- उच्चतम न्यायालय निर्णय- विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन
न होना- मानसिक प्राधिकारी- आधार- बोनाफाइड- विश्वास कि दो परस्पर विरोधी
निर्णय थे- उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण- अवधारित किया कि अवमानना की
कार्यवाही को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक विधि- वैधानिक नियम- कार्यकारी
निर्देश- नियमों या निर्देशों की प्रयोज्यता के बीच विरोधाभास- भारत का संविधान,
1950 अनुच्छेद 136- अपील- सुनवाई- तर्कों का समापन- बाद में सुनवाई के अवसर के
लिये किया गया आवेदन- अस्वीकृति।

मद्रास टेलीफोन एससी / एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने निर्देश के लिये एक याचिका दायर की कि इंजीनियर सेवा में पदोन्नति के लिये अधिकारियों की पात्रता सूची कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में पुष्टि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण करके तैयार की जाये और उस सूची को वर्ग II सेवा में पदोन्नति का आधार बनाया जाये। ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वरिष्ठता के उद्देश्य से भर्ती का वर्ष असंगत और अप्रासंगिक है और तदनुसार यह निर्देश दिया गया है कि पात्रता सूची को योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए और जो लोग उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर सूची को तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि परीक्षा में प्राप्त अंकों से पता चलता है। भारत संघ ने उक्त फैसले को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एसएसी/ एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, (सीए नं. 4339/ 1995) में अपने दिनांक 13-02-1997 के फैसले से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पात्रता सूची भर्ती वर्ष के अनुसार तैयार की जानी है। इस न्यायालय ने एसोसिएशन के इस रुख को स्वीकार नहीं किया कि सूची पुष्टिकरण के वर्ष के संदर्भ में तैयार की जानी चाहिए।

संबंधित मामले (एसएलपी (सी) संख्या 3384-86/ 1986) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर इस आधार पर विचार किया कि P & T मैनुअल के पैराग्राफ 206 में निहित निर्देश व भर्ती नियमों के प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने अंततः निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उसके समक्ष होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से पहले की तारीख, जिसने उनके बाद की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उनकी वरिष्ठता को तदनुसार समायोजित किया जाये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ, भारत संघ ने विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08-04-86 द्वारा भारत संघ बनाम P.N मामले में विशेष अनुमति याचिका खारिज की।

भारत संघ ने एक आवेदन दायर कर इस आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है कि इस न्यायालय का निर्णय भारत संघ बनाम पी.एन. इसी न्यायालय के निर्णय भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एससी/ एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के निर्णय के विपरित है।

मद्रास टेलीफोन एससी/ एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने इस न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर कि जिसमें कहा गया है कि भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एससी/ एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन मामले में इस न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों को लागू नहीं किया गया है।

अन्य संबंधित अपील (संख्या 6485-86/ 1998) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 04-02-1993 के प्रत्यावर्तन आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। उक्त प्रत्यावर्तन का आधार विभिन्न न्यायाधिकरणों के कुछ निर्णयों और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर वरिष्ठता का पुननिर्धारण था।

इन अपीलों और आवेदनों में प्रश्न यह है कि दूर संचार मण्डलों में कनिष्ठ अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से चयन सूची कैसे तैयार की जानी है।

न्यायालय ने अपीलों एवं प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा वर्ग-II भर्ती नियम, 1966 के लागू होने से पहले, पूर्व इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक टेलिकॉम के पद से पदोन्नति (कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में नामित) सहायक अभियन्ता के पद पर पोस्ट के पैराग्राफ 206

और टेलीग्राम मैनुअल वॉल्यूम IV में निहित निर्देशों के अनुसार किया जा रहा था। उक्त निर्देश स्पष्ट रूप से कार्यकारी निर्देश थे, जो वैधानिक नियमों के अभाव में क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। भर्ती नियम 15 जून, 1966 को अधिसूचना जारी होने पर लागू हुए। एक बार वैधानिक नियम लागू हो गये और 28 जून 1966 की अधिसूचना द्वारा इंजीनियरिंग सेवा वर्ग II में पदोन्नति के लिये अधिकारियों की पात्रता सूची तैयार करने के लिये उक्त नियमों के तहत प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है, यह वह प्रक्रिया है जो अपनायी जानी है और P&T मैनुअल के पैराग्राफ 206 का पालन नहीं किया जा सकता। भर्ती नियम के साथ संलग्न नियमों के परिशिष्ट श्रेणी में सेवा वर्ग II में भर्ती पूरी तरह से योग्यता विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जानी है। विभाग का कर्तव्य है कि वह विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अधिकारियों में से एक अनुमोदित सूची तैयार करे। 4 फरवरी 1987 को किये गये नियमों में संशोधन के मद्देनजर, चयन का मानदंड वरिष्ठता- सह- फिटनेस है। 28 जून 1966 को सरकार द्वारा अधिसूचित पात्रता सूची तैयार करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति को फीडर श्रेणी में भर्ती के प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग सूचियां तैयार करनी होती है। एक बार, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा फीडर श्रेणी में अलग-अलग भर्ती वर्षों में होने वाले अधिकारियों की अलग-अलग सूची तैयार की जाती है और पदोन्नति का मानदण्ड वरिष्ठता- सह- फिटनेस होता है, तो इससे संबंधित अधिकारियों को पदोन्नत करने में कोई समस्या नहीं होगी। फीडर श्रेणी में भर्ती के एक ही वर्ष से संबंधित अधिकारियों की परस्पर स्थिति के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को ज्ञापन दिनांक 28 जून 1966 के पैराग्राफ III में दर्शाया गया है।

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने P & T मैनुअल के पैराग्राफ 206 में निहित निर्देशों और भर्ती नियमों के प्रावधानों पर विचार नहीं किये जाने के आधार पर

अपीलकर्ता की शिकायतों पर विचार किया। जब इस न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, हालांकि यह कहा गया था कि विशेष अनुमति याचिका गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दी गयी थी, लेकिन अगले ही वाक्य में न्यायालय ने संकेत दिया था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय एक सीमित सीमा को छोड़कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं था। इसलिये, यह स्पष्ट है कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते समय, न्यायालय ने भर्ती नियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी निर्देशों की जांच नहीं की थी, जो द्वितीय श्रेणी में सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रदान करते थे और इसलिये, कोई कारण नहीं था। भारत संघ को यह सोचना चाहिए कि भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एससी/ एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन मामले में जो कहा गया है, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विपरित है, जो विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके पुष्टि की गयी थी।

3. भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एससी/ एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में इस न्यायालय के फैसले ने 28 जून 1966 के ज्ञापन के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ पढे गये भर्ती नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की सही व्याख्या की है। हालांकि, जिन व्यक्तियों को पहले से ही उनके पक्ष में निर्णय के आधार पर लाभ मिल चुका है, उन्हें नुकसान नहीं होगा और उनकी पहले से की गयी पदोन्नति इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी।

4. विभागीय अधिकारियों ने इस न्यायालय के निर्णयों को लागू नहीं किया था जिसके लिये अवमानना याचिका दायर की गयी थी। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनके तहत विभागीय अधिकारियों को वास्तविक कठिनाइयाँ हुईं, अवमानना के तहत अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना उचित नहीं होगा और तदनुसार

अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। हांलांकि, विभागीय अधिकारियों को इस निर्णय के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एससी/ एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 13-02-97 को दिये गये फैसले को दोहराया गया।

भारत संघ बनाम पी.एन. दिनांक 08-04-1996 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया, भेद किया गया।

5. संबंधित अपीलों में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश गलत है। अपीलकर्ता के पक्ष में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला अंतिम हो चुका था। उसे उक्त फैसले का लाभ मिल चुका था व पदोन्नत हो चुका था। जिसे न्यायाधिकरण या इस न्यायालय द्वारा दिये गये कुछ बाद के निर्णयों और निर्देशों के कारण वापस नहीं लिया जा सकता था। जिस आधार पर उक्त प्रत्यावर्तन पारित किया गया है, उस आधार पर प्रत्यावर्तन का आदेश अस्थिर और अनुचित है और इस प्रकार इसे विधि में कायम नहीं रखा जा सकता।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील सं. 4339/1995।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास के टी.ए. क्रमांक 909/86 एवं आर.ए. 1987 की संख्या 44 में दिनांक 31-12-86 के निर्णय व आदेश से।

मुकुल रोहतगी, आर.एन.त्रिवेदी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, शान्ति भूषण, इ.एक्स. जोसफ, ए.डी.एन. राव, पी. परमेश्वरण, आर.के. कपूर, पी. वर्मा, एस.के. श्रीवास्तव, सुमित कुमार, अनीस अहमद खान, नरेश कौशिक, नरेन्द्र के राँय, मिस. शिल्पा चौहान, एल. कौशिक, ए.एन. दास, एम.एम. कश्यप, मिस नीरू वेद, अरविन्द कुमार शर्मा, एस. उदय कुमार सागर, एस.एस. सबरवाल और लक्ष्मी नरिश्मा- पक्षकारों के लिये उपस्थित।

121/99 अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता के लिये व्यक्तिगत रूप से परमानंद लाल।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

पटनायक, जे.

यह भारत संघ द्वारा एक आवेदन है, जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है, यह मानते हुए कि एस.एल.पी. संख्या 3384-86/86 भारत संघ बनाम पी.एन.लाल और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय सी.ए. 4339/ 1995 में भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एससी/एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन दिनांक 13.2.97 के फैसले के विपरीत चलता है। इस आवेदन के माध्यम से, विभाग केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के दिनांक 5.1.96 के फैसले के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय रिट याचिका संख्या 23522/97 में पारित दिनांक 28.10.97 के फैसले को लागू करने के तरीके के बारे में और दिशा-निर्देश भी चाहता है। चूंकि विभाग के अनुसार, इसमें शामिल निर्देश में इस न्यायालय के लाल्स कैस पी.एन. फैसले में प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत हैं। भारत संघ ने निर्देशों के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसे I.A. क्रमांक 3/99. के रूप में क्रमांकित किया गया है।

C.A.No 4339/95 आदेश दिनांक 13.2.97 द्वारा निस्तारण के बाद, चूंकि उसमें दिए गए निर्देशों को लागू नहीं किया गया था, मद्रास टेलीफोन एससी/एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने एक अवमानना याचिका दायर की, जिसे अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 121/1999 के रूप में पंजीकृत किया गया था। जब वह आवेदन 16.11.99 को इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो अधिकारियों के एक समूह द्वारा हस्तक्षेप के लिए एक

आवेदन दायर किया गया था और हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस न्यायालय का निर्णय सी.ए. 4339/95 पहले के चार निर्णयों पर ध्यान दिए बिना प्रस्तुत किया गया है, प्रत्येक निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया है। उक्त हस्तक्षेपकर्ताओं ने सी.ए. संख्या 4339/95 में पारित आदेश दिनांक 13.2.97 को वापस लेने के लिए एक आवेदन इस आधार पर कि वे उक्त अपील में पक्षकार नहीं थे, भी दायर किया था। प्रत्येक मामले में दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में विरोधाभास को देखते हुए, 16.11.99 को मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने एक आदेश पारित किया कि मामलों को तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा और इस प्रकार मामलों के इस समूह को हमारे सामने रखा गया है।

क्रमांक 10/2000. आई.ए. क्रमांक 2/99, स्पष्टीकरण और निर्देशों के लिए भारत संघ द्वारा दायर किया गया, जैसा कि पहले ही कहा गया है, हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन चार व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वे अत्यन्त प्रभावित होंगे अगर इस न्यायालय का निर्णय सी.ए.सं. 4339/95 लागू नहीं होता है और उक्त हस्तक्षेप आवेदन को I.A 2000 का नंबर 10. क्रमांकित किया गया है।

IA क्रमांक 9/99 श्री परमानंद लाल, जिन्हें अवमानना याचिका संख्या 121/99 में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, ने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है और उक्त आवेदन को I.A क्रमांक 9/1999 के रूप में क्रमांकित किया गया है।

IA क्रमांक 11/2000. पी.एन.लाल, बृजमोहन, जो एसएलपी संख्या 9063-64/92, 19716-22/91, 16698/92 और 5398/96 के साथ-साथ कई अन्य में प्रतिवादी थे, को पक्षकार बनाने के लिए भारत संघ द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है। साथ

ही कई व्यक्तियों को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना है, जिसे I.A. No. 11/2000 के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह आवेदन 20 जनवरी, 2000 को इस मामले की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अलग-अलग विचारों के परिणाम ने भारत संघ को दुविधा में डाल दिया है और इसलिए यह आवश्यक है विचार करना और निर्णय लेना कि भिन्न विचारों में से कौन सा सही है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि वे सभी पक्ष जिनके हित प्रभावित होंगे, वे न्यायालय के समक्ष हैं, लेकिन हम भारत संघ को विशेष रूप से अपने अंतरिम आवेदन (आईए 2/99) में परमानंद लाल को पक्षकार बनाने का निर्देश देते हैं।

I.A No. 12/2000 परमानंद लाल ने स्वयं भी हस्तक्षेप और निर्देश के लिये आवेदन किया था जो न्यायालय के आदेश दिनांक 08-04-86 के आदेश के लाभार्थी हैं। जब परमानंद लाल के द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन नं. 2739/1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखते हुए भारत संघ द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका नं. 3384-86/ 1986 को खारिज किया गया। उक्त IA No. 12/ 2000 के रूप में दर्ज की गयी है।

C.A. नं. 6485- 86/1998 परमानंद द्वारा है जो केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के RA सं. 170/97 दिनांक 18-09-97, साथ ही उक्त न्यायाधिकरण के आदेश OA 2646/ 1993 दिनांक 11-04-97 में पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। उक्त सिविल अपील सं. 6465-86/ 1998 में, परमानंद लाल ने अंतरिम राहत के लिये आवेदन दायर किया, जिसे IA 1999 की सं. 4 व 5 के रूप में पंजीकृत किया गया।

IA No. 3/99, देरी को माफ करने के लिये भारत संघ द्वारा दायर की गयी, जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।

IA No. 10/2000, IA No. 2/99 में हस्तक्षेप करने के लिये चार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गयी, अनुमति प्रदान की गयी।

IA No. 9/99, परमानंद लाल द्वारा अवमानना याचिका सं. 121/99 में हस्तक्षेप करने के लिये प्रस्तुत की गयी, अनुमति प्रदान की गयी।

IA No. 11/2000 परमानंद लाल और बृजमोहन को पक्षकार बनाने के लिये भारत संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी, अनुमति प्रदान की गयी।

IA No. 12/2000 स्वयं परमानंद द्वारा हस्तक्षेप हेतु दायर की गयी, अनुमति प्रदान की गयी।

IA No. 2/99 स्पष्टीकरण के लिए भारत संघ द्वारा दायर, मद्रास टेलीफोन एससी/एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर अवमानना याचिका (सी) संख्या 121/99, सी.ए. संख्या 6485-86 ऑफ 1998 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली और आई.ए. के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया। 1999 की संख्या 4 और 5, सी.ए. संख्या 6485-86/98 में दायर अंतरिम राहत के लिए निपटान इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जाएगा।

पक्षकारों के बीच विवाद इस सवाल पर केंद्रित है कि टेली-कम्यूनिकेशन सर्कल में कनिष्ठ अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से चयन सूची कैसे तैयार की जानी है। यह कहा जा सकता है कि 1966 से पहले, कनिष्ठ अभियन्ताओं को इंजीनियरिंग सुपरवाइजर टेलीकॉम/वायरलेस सुपरवाइजर टेलीकॉम के रूप में नामित किया जा रहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 (इसके बाद भर्ती नियमों के रूप में संदर्भित) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा वर्ग II भर्ती नियम, 1966 से पहले, पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग के पद से पदोन्नति लागू हुई सुपरवाइजर टेलीकॉम (कनिष्ठ अभियन्ता के

रूप में पुनः नामित) को सहायक अभियंता के पद पर पोस्ट और टेलीग्राफ मैनुअल वॉल्यूम IV के पैराग्राफ 206 में निहित निर्देशों के अनुसार बनाया जा रहा था। उक्त निर्देश स्पष्ट रूप से कार्यकारी निर्देश थे, जो वैधानिक नियमों के अभाव में क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। पी एंड टी मैनुअल के पैरा 206 में निहित उपरोक्त निर्देश विवाद के मुद्दे की बेहतर समझ के लिए नीचे विस्तार में दिए गए हैं:

"206. इंजीनियरिंग शाखा में 5 वर्षों तक सेवा करने के बाद नई प्रणाली के तहत 1 जनवरी, 1929 के बाद भर्ती किए गए सभी जूनियर इंजीनियरों को विभागीय योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, जो नीचे दिए गए विषयों में समय-समय पर आयोजित की जाएगी, बशर्ते कि उनका अच्छा अभिलेख हो। इस योग्यता परीक्षा का उद्देश्य इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों की सामान्य क्षमता और टेलीग्राफी और टेलीफोनी में नवीनतम विकास में उनके ज्ञान का परीक्षण करना है। टेलीग्राफ इंजीनियरिंग और वायरलेस सेवा, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना एक आवश्यक शर्त है। 2. टी.ई. डब्ल्यू.एस. द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति वरिष्ठता-सह-फिटनेस के सिद्धांत के अनुसार बनाई जाएगी, लेकिन इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक जो पहले योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें बाद के अवसरों पर परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए एक समूह के रूप में वरिष्ठ रैंक दिया जाएगा, यानी 1956 में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी को 1957 में उत्तीर्ण होने वालों से समग्र रूप से वरिष्ठ रैंक रखा जायेगा। हालाँकि, उनकी वरिष्ठता इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों के कैडर में उनकी वरिष्ठता के अनुसार होगी। 3. यह परीक्षा निम्नलिखित तीन विषयों में आयोजित की जाएगी:- (i)

टेलीग्राफ और टेलीफोनी (किताबों के बिना) 100 अंक (ii) लाइन निर्माण एवं ट्रांसमिशन (किताबों के बिना) 100 अंक (iii) कोड नियम (किताबों के साथ) 100 अंक।

प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकारियों को प्रत्येक विषय में 10% अंक प्राप्त करने होंगे। 4. परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट संख्या 15 ए में दर्शाया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के तहत सभी जूनियर इंजीनियरों को, इंजीनियरिंग शाखा में पांच साल की सेवा पूरी करने पर, विभागीय योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा रही थी, बशर्ते कि वे एक अच्छा सेवा अभिलेख बनाए रखें। योग्यता परीक्षा का उद्देश्य इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों की सामान्य क्षमता का परीक्षण करना था और उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना कक्षा II में सेवा में पदोन्नति के लिए आवश्यक पूर्व शर्त थी। द्वितीय श्रेणी में सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता-सह-फिटनेस के सिद्धांत पर की जा रही थी। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि जो पर्यवेक्षक पहले अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से समग्र रूप से वरिष्ठ रैंक दिया जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक के कैडर में एक समूह में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पर्यवेक्षकों की परस्पर वरिष्ठता उनकी वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जा रही है। भर्ती नियम 15 जून, 1966 की अधिसूचना जारी होने पर लागू हुए। भर्ती नियमों का नियम 5 सेवा में भर्ती की विधि, परीक्षा की अवधि और निचले ग्रेड जिनसे पदोन्नति की जाएगी, प्रदान करता है, जैसा कि अनुसूची के कॉलम 5 से 13 और नियमों के परिशिष्ट I और परिशिष्ट II में दर्शाया गया है। 'सेवा' को नियम 2(ई) में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा (श्रेणी II) के रूप में परिभाषित किया गया है। परिशिष्ट I के तहत, सेवा में भर्ती पूरी तरह से योग्यता विभागीय परीक्षा के माध्यम से, उक्त परिशिष्ट के पैराग्राफ (ii) में इंगित अधिकारियों के चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा

की जानी आवश्यक है। इसमें आगे कहा गया है कि विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अधिकारियों में से चयन करके एक अनुमोदित सूची तैयार की जानी है। परिशिष्ट I का पैरा (ii) उन अधिकारियों की श्रेणी की गणना करता है जो श्रेणी II में सेवा में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। परिशिष्ट I के पैराग्राफ (iii) के तहत, कक्षा II में सेवा में पदोन्नति के लिए विभागीय योग्यता परीक्षा आम तौर पर परिशिष्ट III में निर्धारित तरीके से एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों को विभागीय योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होने के लिए पांच साल की सेवा पूरी करनी होगी। उक्त परिशिष्ट I के पैराग्राफ (v) के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति के विचार हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता सूची सरकार द्वारा समय-समय पर उपयोग किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार तैयार की जानी है। परिशिष्ट I के पैराग्राफ (v) में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार, संचार विभाग ने 28 जून, 1966 को निर्देश जारी किए, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखे जाने वाले अधिकारियों की पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया का संकेत दिया गया। उक्त निर्देशों के तहत, भर्ती के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग सूची तैयार की जानी आवश्यक है। उपरोक्त निर्देशों का पैराग्राफ (v) हमारे उद्देश्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसे नीचे विस्तार में दिया गया है:

"(v) भर्ती/नियुक्ति के एक विशेष वर्ष के सभी अधिकारी, जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, भर्ती/नियुक्ति के उसी वर्ष के उन अधिकारियों से समग्र रूप से वरिष्ठ होंगे जो बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे।"

उपरोक्त निर्देश स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि भर्ती के एक विशेष वर्ष में भर्ती किए गए इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों में से, जो पहले पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे उन लोगों से समग्र रूप से वरिष्ठ होंगे, जो बाद के किसी

समय में उक्त योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त निर्देशों के पैराग्राफ (i) के तहत, अधिकारियों के लिए फीडर श्रेणी के व्यक्तियों की भर्ती के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग सूची तैयार करना अनिवार्य था। भर्ती नियमों को वर्ष 1987 में संशोधित किया गया था और संशोधित प्रावधानों के तहत, चयन का मानदंड वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर है। इस प्रकार, द्वितीय श्रेणी इंजीनियरिंग सेवा के पद पर पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मद्रास टेलीफोन एससी/एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में पुष्टि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण करके पात्रता सूची तैयार की जाए और वह सूची वर्ग II सेवा की पदोन्नति का आधार बने। उपरोक्त रिट याचिका को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 29 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः न्यायाधिकरण द्वारा 31.12.1986 के निर्णय द्वारा इसका निस्तारण कर दिया गया। अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए भर्ती का वर्ष असंगत और अप्रासंगिक है और तदनुसार निर्देश दिया कि पात्रता सूची को योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष और उन लोगों के बीच व्यवस्थित किया जाए, जो उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, सूची उनकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, जैसा कि परीक्षा में प्राप्त अंकों से पता चलता है। अधिकरण के फैसले का भारत संघ ने उच्चतम न्यायालय में विरोध किया और अनुमति दिए जाने पर इसे 1995 की सिविल अपील संख्या 4339 के रूप में पंजीकृत किया गया। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश वास्तव में नियमों को फिर से लिखने के समान हैं, जो उसके द्वारा नहीं किया जा सकता था। भर्ती नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत जारी निर्देशों पर विचार करने पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पात्रता सूची भर्ती के वर्ष के अनुसार

तैयार की जानी है। इस न्यायालय ने एसोसिएशन के इस रुख को स्वीकार नहीं किया कि सूची पुष्टिकरण के वर्ष के संदर्भ में तैयार की जानी चाहिए। जब न्यायालय ने उपरोक्त सिविल अपील का निपटारा किया, तो पी.एन.लाल और बृज मोहन द्वारा दायर रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 2739/81 और 3652/81) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में नहीं लाया गया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध भारत संघ 1986 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 3384-86 में सर्वोच्च न्यायालय आया था और उस विशेष अनुमति याचिका को 8.4.86 को खारिज कर दिया गया था। विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"..... वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम एक सीमित सीमा को छोड़कर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष आवेदक की शिकायतों पर विचार किया अर्थात् परमानंद लाल व बृजमोहन इस आधार पर कि पी एंड टी मैनुअल के पैराग्राफ 206 में निहित निर्देशों और भर्ती नियमों के प्रावधानों विचार नहीं किया गया। न्यायालय ने अंततः निर्देश दिया था कि उसके समक्ष दो याचिकाकर्ताओं अर्थात् परमानंद लाल और बृजमोहन को उनके बाद की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति की तिथि से पूर्व की तिथि से पदोन्नति दी जाए और उनकी वरिष्ठता को तदनुसार समायोजित किया जाए। जब इस न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, हालांकि यह कहा गया था कि विशेष अनुमति याचिका गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती है, लेकिन अगले ही वाक्य में न्यायालय ने संकेत दिया था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय इच्छुक नहीं था कि एक सीमित सीमा को छोड़कर उच्च न्यायालय के निर्णय

में हस्तक्षेप करें। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते समय, न्यायालय ने भर्ती नियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी निर्देशों की जांच नहीं की थी, जो द्वितीय श्रेणी में सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रदान करते थे और इसलिए, भारत संघ के यह मानने का कोई कारण नहीं था कि 1995 की सिविल अपील संख्या 4339 में जो कहा गया है, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, जिसे 8.4.1986 को 1986 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 3384-86 को खारिज करके पुष्टि की गई थी। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने ओ.ए. सं. 1991 का 2667 का निस्तारण कर दिया। और उसके समक्ष 1992 की समीक्षा आवेदन संख्या 195 के रूप में दायर समीक्षा आवेदन का निपटारा पोस्ट और टेलीग्राफ मैनुअल के पैराग्राफ 206 की व्याख्या करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विचारों के बाद 29 जून, 1992 को अधिकरण द्वारा किया गया था और उक्त निर्णय के खिलाफ, टेली-कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन ने 1992 और बैच की विशेष अनुमति याचिका संख्या 16698 को प्राथमिकता दी थी, जिसे 13 मई, 1994 के फैसले द्वारा निपटाया गया था इस न्यायालय ने माना कि परमानंद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने में अधिकरण सही था, जो उसी के खिलाफ केंद्र सरकार की एसएलपी के निपटान से अंतिम हो गया है, जो पी एंड टी नियमावली के अनुच्छेद 206 की व्याख्या से संबंधित है। इस न्यायालय ने एक अन्य फैसले का एस एल पी (सिविल) क्रमांक 9063-64, 1992 के साथ 1992 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 460 में टी.पी. (सिविल) संख्या 417/1992 में पारित न्यायालय के 18 सितंबर, 1992 का भी संज्ञान लिया। इस न्यायालय के दिनांक 18 सितंबर, 1992 के फैसले में टी.पी. रिट याचिका (सिविल) संख्या 460 1992 में सिविल) संख्या 417/1992 (जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स फोरम और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय का विचार था कि विवाद दूरसंचार

इंजीनियरिंग सेवा समूह बी में पदोन्नति के तरीके के साथ-साथ उस श्रेणी में जूनियर दूरसंचार अधिकारियों/सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता के निर्धारण और पात्रता या अनुमोदित भर्ती नियमों और पी एंड टी मैनुअल वॉल्यूम IV के पैराग्राफ 206 के अनुसार विभाग द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए सूची तैयारी से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने 1966 के भर्ती नियमों के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ाए गए तर्कों पर ध्यान दिया है, लेकिन अंततः यह निष्कर्ष निकला कि उसी के खिलाफ एसएलपी को खारिज करने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विचार अंतिम रूप में पहुंच गए हैं और इस तरह से पात्रता सूची पी एंड टी मैनुअल के पैराग्राफ 206 के अनुसार तैयार की जानी आवश्यक है। उपरोक्त निष्कर्ष निस्संदेह गलत है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय पी एंड टी मैनुअल के पैराग्राफ 206 की व्याख्या करके आगे बढ़ा, जो एक प्रशासनिक निर्देश था जो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए भर्ती नियमों की घोषणा तक क्षेत्र को नियंत्रित करता था। एक बार वैधानिक भर्ती नियम लागू हो गए हैं और 28 जून, 1966 की अधिसूचना द्वारा इंजीनियरिंग सेवा वर्ग II में पदोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता सूची तैयार करने के लिए उक्त नियमों के तहत प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, यह वह प्रक्रिया है जिसे अपनाया जाना है और पी एंड टी मैनुअल के पैराग्राफ 206 में निहित पहले के प्रशासनिक निर्देश का पालन नहीं किया जा सकता है। नियमों के साथ संलग्न अनुसूची और परिशिष्ट I के साथ पठित भर्ती नियमों के तहत, श्रेणी II में सेवा में भर्ती पूरी तरह से योग्यता विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जानी है। विभागीय पदोन्नति समिति विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अधिकारियों में से चयन करके एक अनुमोदित सूची तैयार करने के लिए बाध्य है। 4 फरवरी, 1987 को किए गए नियमों में संशोधन के मद्देनजर, चयन का मानदंड वरिष्ठता-सह-फिटनेस है। 28 जून, 1966 को सरकार द्वारा अधिसूचित

पात्रता सूची तैयार करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति को फीडर श्रेणी में भर्ती के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग सूचियाँ तैयार करनी होती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि 1958 में, विभागीय पदोन्नति समिति द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए लोगों की सिफारिश कर रही है, तो उन सभी पात्र उम्मीदवारों को, जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जो 1950 में भर्ती हुए थे, उन अधिकारियों से अलग सूचीबद्ध किया जाना है जो वर्ष 1951 में भर्ती किये गये और जिन्होंने विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। एक बार, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा फीडर श्रेणी में विभिन्न भर्ती वर्षों में भर्ती किए गए अधिकारियों की अलग-अलग सूचियां तैयार की जाती हैं और पदोन्नति के मानदंड वरिष्ठता-सह-फिटनेस होते हैं, तो इससे संबंधित अधिकारियों को पदोन्नत करने में कोई समस्या नहीं होगी। फीडर श्रेणी में भर्ती के एक ही वर्ष से संबंधित अधिकारियों की परस्पर स्थिति के संबंध में, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 28 जून, 1966 के ज्ञापन के पैराग्राफ (iii) में इंगित की गई है मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी सुविचारित राय है कि 1995 की सिविल अपील संख्या 4339 में इस न्यायालय के फैसले को 28 जून 1966 के ज्ञापन के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ पढ़े गए भर्ती नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करने में सही निर्णय लिया गया है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि परमानंद लाल और बृजमोहन जैसे जिन व्यक्तियों को उनके पक्ष में निर्णय के आधार पर पहले ही लाभ मिल चुका है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी पहले से ही की गई पदोन्नति हमारे इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी।

चूंकि विभागीय अधिकारियों ने 1995 की सिविल अपील संख्या 4339 में इस न्यायालय के निर्णयों को लागू नहीं किया था, जिसके लिए एक अवमानना याचिका दायर की गई थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके तहत विभागीय अधिकारियों ने वास्तविक कठिनाइयों का सामना किया था, ऐसा करना उचित नहीं

होगा कि अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के तहत कार्यवाही करें और तदनुसार अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी जाए। हालाँकि, हम विभागीय अधिकारियों को कानून के अनुसार और इस निर्णय में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश देंगे और इस निर्णय की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पदोन्नति की जा सकती है।

1998 की सिविल अपील संख्या 6485-86:

परमानंद लाल की ये अपीलें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 11 अप्रैल, 1997 के आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। परमानंद लाल ने ट्रिब्यूनल से संपर्क किया था, दिनांक 4.2.93 के प्रत्यावर्तन आदेश को चुनौती दी थी और उक्त प्रत्यावर्तन का आधार विभिन्न न्यायाधिकरणों के कुछ निर्णयों और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के कारण इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक के पद पर वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण था। हमने इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से विचार किया है और हमने माना है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं के फीडर कैडर में वरिष्ठता का प्रश्न, जब एक ही भर्ती वर्ष से संबंधित व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, तो दिनांक 28 जून 1966 के जापन के पैराग्राफ (iii) के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए और ग्रुप बी सेवा में पदों पर पदोन्नति के लिए संलग्न परिशिष्ट के साथ पठित वैधानिक भर्ती नियमों के अनुसार, प्रत्येक भर्ती वर्ष के संबंध में अलग-अलग सूची बनाई जानी है। हमने यह भी माना है कि भर्ती नियमों की घोषणा के बाद, पी एंड टी मैनुअल के पैराग्राफ 206 में निहित प्रशासनिक निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं होगा। हमने यह भी संकेत दिया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पहले से ही प्रभावी पदोन्नति, जिसे इस न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके बरकरार रखा था, किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा। यह स्थिति है और परमानंद लाल के पक्ष में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला अंतिम हो चुका है, उन्हें उक्त फैसले का लाभ मिला है और

पदोन्नत किया गया है, बाद के कुछ न्यायाधिकरण या इस न्यायालय के निर्णयों और दिए गए निर्देशों के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता था। स्वीकार की गई स्थिति पर कि आवेदक परमानंद को कुछ अन्य न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों के कारण वरिष्ठता के पुनः निर्धारण के सिद्धांत को तय करने के कारण आदेश दिनांक 4.2.93 द्वारा वापस कर दिया गया था और उसी आधार पर प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया गया था, हमें इस निष्कर्ष पर आने पर कोई झिझक नहीं है कि प्रत्यावर्तन का आदेश उन आधारों पर अस्थिर और अनुचित है, जिन पर उक्त प्रत्यावर्तन पारित किया गया है, और इस प्रकार इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि कनिष्ठ अभियंता के कैंडर में परमानंद की वरिष्ठता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर तय की गई है, इस न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ एसएलपी को खारिज करने के बाद, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा वरिष्ठता के निर्धारण हेतु विवेचना किसी अन्य आधार पर दबाव के लिये उत्तरदायी नहीं है। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश गलत है और हम इसे रद्द करते हैं और परमानंद लाल द्वारा दायर सिविल अपील की अनुमति देते हैं।

बहस बंद होने के बाद, 18 अप्रैल, 2000 को प्रमोटी टेलीकॉम इंजीनियर्स फोरम, नई दिल्ली द्वारा अपने अध्यक्ष के माध्यम से एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई और सुनवाई का अवसर देने की प्रार्थना की गई। इस मामले की दोबारा सुनवाई संभव नहीं है। तदनुसार प्रार्थना अस्वीकार कर दी जाती है।

इन सभी अपीलों और आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेंद्र कौशिक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।